राजस्थान में उद्योगों को ईटीपी लगाने के लिये 13.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी

चर्चा में क्यों?

27 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के अंतर्गत राज्य में औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) की स्थापना के लिये 88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में ईटीपी लगाने की स्वीकृति से विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित किये जाने वाले अपशिष्ट का उचित उपचार किया जा सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी।
- राज्य में अधिक-से-अधिक उद्योगों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना लाई गई है।
- ज्ञातव्य है कि ईटीपी लगने से जहाँ एक ओर हानिकारक औद्योगिक कचरे के निस्तारण में सहायता मिलती है, वहीं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट से आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव होता है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) लगाने पर प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rs-13-88-crore-grant-released-to-industries-in-rajasthan-for-levying-etp